भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2144

सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)

व्यवसायगत संबंधी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा पर प्रारूप संहिता

2144. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं संबंधी एक प्रारूप संहिता बनाकर देश में विभिन्न श्रम कानूनों का समेकन और इनमें संशोधन करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रारूप संहिता के उद्देश्यों और मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अनेक श्रम संघों ने पहले ही प्रारूप संहिता के कार्यान्वयन और श्रम बल के 85 प्रतिशत की स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों की कवरेज से बाहर रहने पर अपनी चिंता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार को उक्त मामले पर कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इससे संबंधित चिंताओं का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (च): द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के प्रतिवेदनों के अनुसरण में व्यवसायगत सुरक्षा एवं कार्यदशाओं संबंधी श्रम संहिता का प्रारूप व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं, कार्य/छुट्टी/अवकाश के घंटों, कल्याण, नियोक्ताओं, कर्मचारियों, वास्तुकारों, विनिर्माताओं तथा प्रवर्तन एजेंसियों के सामान्य दायित्व से संबंधित 13 केन्द्रीय श्रम विधानों के संगत उपबंधों के समामेलन, सरलीकरण तथा यौक्तिकीकरण द्वारा तैयार किया गया है। प्रस्तावित संहिता की अनुप्रयोज्यता सभी क्षेत्रों के उन सभी प्रतिष्ठानों पर होगी जिनमें 10 अथवा अधिक कामगार हैं। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों, नियोक्ता संघों तथा राज्य सरकारों सहित सभी पणधारकों के साथ गहन परामर्श किया गया और संहिता का प्रारूप तैयार करते हुए उनकी टिप्पणियों/सुझावों पर विचार किया गया था। दिनांक 22.11.2018 को व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संबंधी प्रारूप श्रम संहिता, 2018 पर एक त्रिपक्षीय परामर्शी बैठक भी आयोजित की गई थी। वर्तमान में, व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संबंधी श्रम संहिता का प्रारूप पूर्व-विधायी स्तर पर है।

****